

277

न्यायालय समृद्ध माननीय राजस्व मण्डल गवालियर -04 0

निगरानी क्र०-

तनु-2012-13

1- पूरन तनय कन्हैया उर्फ कंदड यादव

2- अजुदी तनय कन्हैया उर्फ कंदड यादव

निवासी गण ग्राम जोरन तहो नौगांवजिला छतरपुर मोप०.. निगरानी
- कत्तिगण

बनाम

1- पूरन सिंह तनय माखन अहीर

2- घरन सिंह तनय माखन अहीर

निवासी गण ग्राम जोरन तहो नौगांवजिला छतरपुर (मोप०) .. गेरनिगरानी कत्तिगण
3- मोप० शासन ..

श्री लक्ष्मी लक्ष्मी बहू
द्वारा द्वारा द्वारा द्वारा
प्रस्तुत
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण
राजस्व मण्डल गवालियर

यह निगरानी अपर क्लेक्टर जिला छतरपुर
द्वारा मोप०-174/अपोल/11-12 में पारित
आदेश दिनांक 10.06.13 से परिवेदित होकर
मोप० भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50
के अन्तर्गत प्र स्तुत की गई है।

मान्यवर,

निगरानी कत्तिगण सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते

है :-

1- यह एक प्रकरण के संधिष्ठित तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक

गण ने अधीक्षक भू प्रबंधन उत्तरपुर में जिन्हे आगे किया रखा न्यायालय
कहा जावेगा ॥ द्वारा मोप०-2/अ-6 अ/2003-04 में पारित आदेश
दिनांक 02.07.04 के बिल्द न्यायालय अपर क्लेक्टर महोदय जिला
र में जिन्हे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जावेगा ॥ आवेदक

1 के बिल्द अपोल प्र करण क्र०- 174/अपील/11-12 दिनांक-

28.01.12 को प्रस्तुत की तथा अपील प्रस्तुति में हुये बिलंब को

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक—निगरानी—2442—दो / 2013

जिला—छतरपुर

पूरन व अन्य विरुद्ध पूरन सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला—छतरपुर के प्र. क्र. 174/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ . पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p>(3)</p>	<p>(अमरकौर जैन) सदृश्य 18/03/19</p>